समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग)

पत्रांक 298/

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग,
मधेपुरा।

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
गम्हरिया, सिंहेश्वर, शंकरपुर,
कुमारखंड, मुरलीगंज एवं मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक 11/10/2019

विषयः- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखंड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी / समीक्षात्मक बैठक का आयोजन करने के संबंध में।**

प्रसंगः- **अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक-1071 दिनांक- 27/09/2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना का मधेपुरा जिला के अन्तर्गत सभी प्रखंडों में दिनांक- 15/10/2019 से दिनांक- 17/10/2019 तक भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 72 में वर्णित है, कि दिव्यांगजनों का पंचायत स्तर पर समूह बनना है। जिसमें दिव्यांगजन, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं सरकारी कर्मचारी / अधिकारी के साथ समूह बनना है। निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है, कि आप प्रखंड स्तर पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी / प्रोग्राम पदाधाकारी, मनरेगा को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करेंगे, जो अपने-अपने प्रखंड में पंचायत स्तर पर दिव्यांगजनों का समूह प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव करेंगे। उक्त निर्धारित कार्यक्रम में प्रत्येक प्रखंड स्तर पर 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजन (21प्रकार) में से कम से कम पाँच प्रकार के दिव्यांगजन के साथ एवं पंचायत स्तर के कर्मचारी जैसे पंचायत सचिव, विकास मित्र, टोला सेवक, बी0आर0पी0, सेविका, ए0एन0एम कर्मचारी तथा पंचायत प्रतिनिधि जैसे मुखिया, सरपंच, समाजसेवी, दिव्यांगजन कार्यकर्त्ता आदि के साथ पंचायत स्तर का दिव्यांगजन समूह बनना है। उसी समूह में से प्रत्येक पंचायत का एक-एक दिव्यांगजन एवं पंचायत सचिव के साथ प्रखंड स्तर के बने दिव्यांगजन समूह, जिसमें से प्रखंड स्तर से प्रखंड विकास पदाधिकरी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अस्पताल प्रभारी, प्रखंड जीविका प्रबंधक, विकास मित्र, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक एवं प्रखंड स्तर के कर्मचारियों तथा पदाधिकरियों के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत के दिव्यांगजन प्रतिनिधि होंगे। प्रखंड स्तर के समूह की बैठक में राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार स्वयं भाग लेंगे। नयाचार पदाधिकारी के रूप में श्री अमरेन्द्र कुमार अमर, टेक्नीशियन ऑफ्थो, बुनियाद केन्द्र, मधेपुरा रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम निम्नप्रकार हैः-

नोट :- 1. पंचायत स्तर की आहूत बैठक की फोटा ग्राफी करवाना सुनिश्चित करेंगे।

2. समूह के गठन के पश्चात् उसकी प्रति दिनांक- 14/10/2019 को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को भेजवाना सुनिश्चित करेंगे।

क0	तिथि	आगमन/प्रस्थान समय सारणी	कार्यक्रम स्थल	कार्यक्रम
01	15.10.2019	10:00 AM बजे से	गम्हरिया प्रखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक।
02		11:00 AM बजे से	सिंहेश्वर प्रखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक।
03		12:00 PM बजे से	शंकरपुर प्रखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक।
04		01:00 PM बजे से	कुमारखंड प्रखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक।
05		02:00 PM बजे से	मुरलीगंज प्रखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक।
06		03:00 PM बजे से	मधेपुरा प्रखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक।

विश्वासभाजन

11/10/19

सहायक निदेशक,
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग,
मधेपुरा।